न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1142–पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–4–2017 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील भितरवार जिला ग्वालियर के प्रकरण कमांक 27/अ–6/2016–17 ।

.....

1–सुघर सिंह पुत्र श्री बलदेवा बघेल
2–कल्लाराम पुत्र श्री कसिया
निवासीगण ग्राम इकहरा तहसील भितरवार
जिला ग्वालियर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–जण्डेल सिंह श्री जसबन्त सिंह
2–लक्ष्मण सिंह श्री जसबन्त सिंह
3–श्रीकृष्ण पुत्र श्री जसबन्त सिंह
निवासीगण ग्राम इकहरा तहसील भितरवार
जिला ग्वालियर
4–मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर

..... अनावेदकगण

.....

श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक–आवेदकगण

श्री एस0पी0धाकड़, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1 लगायत 3

श्री आर0पी0पालीवाल, पेनल अभिभाषक–अनावेदक कमांक 4

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15/11/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील भितरवार जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–4–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा तहसीलदार भितरवार जिला ग्वालियर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र

प्रस्तुत किया गया कि कृषि भूमि ग्राम इकहरा स्थित सर्वे नम्बर 91/1 रकबा 1.264 हेक्टेयर, सर्वे नम्बर 226/1 रकबा 1.014 हेक्टेयर पर वह पूर्वजों के समय से लगभग 33 वर्षो से कृषि कार्य करता चला आ रहा है और पूर्व के वर्षो में उनके पूर्वज जसबंतसिंह व गजराजसिंह का नाम आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज था और वे लगातार कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं । दिनांक 20–12–16 को आवेदकगण द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि उनके द्वारा अपने नाम करा ली गई है अतः कब्जा छोडे तब पटवारी से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि कब्जा उनके द्वारा प्राप्त कर लिया गया है जबकि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 का आधिपत्य है अतः उनका आधिपत्य इंद्राज किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रांरभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 6–4–2017 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत धारा 32 का आवेदन निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर अपना कब्जा दर्ज करने हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जबकि संहिता के प्रावधानों के अनुरूप कब्जे संबंधी नई प्रविष्टि करने का अधिकार तहसीलदार को प्राप्त नहीं है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 121 के अन्तर्गत पक्षकारों की सहमति से भी कब्जा दर्ज नहीं किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार के समक्ष आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र निरर्थक होने से इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य था परन्तु उनके द्वारा प्रकरण प्रचलित रखने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण को पटटे पर प्राप्त हुई है और अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 का यदि कब्जा है तो वह अवैधानिक कब्जा होने से स्थिर नहीं रखा जा सकता है ।

तर्क के समर्थन में 2006 आरएन 104 एवं 2002 आरएन 359 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 का उनके पूर्वजों के समय से 30–35 वर्षो से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है ऐसी स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रथमदृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभी तहसील न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रचलित है और वहॉ आवेदकगण को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण का तकनीकी आधारों पर निराकरण नहीं कर गुणदोष पर निराकरण किया जाना चाहिये ।

5/ अनावेदक कमांक 4 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही संहिता के प्रावधानों के अधीन होने से स्थिर रखी जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय ने पूर्ण सुनवाई के बाद ही आवेदक द्वारा उठाये गये बिन्दु के निराकरण का अंतरिम आदेश दिया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील भितरवार जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–4–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर